संख्या-91 /2021/1806/26-3-2021-1514/2016

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 जुलाई 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत 13-अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण योजना में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-162/स0क0/विकास/अभ्युदय योजना/2021-22, दिनांक-30.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-13-अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण-42-अन्य व्यय में धनराशि रू0-500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन-02-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(3)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4)-जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(5)-धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6)-पात्र अभ्यर्थियों के प्राप्त होने पर ही प्रश्नगत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7)-किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(8)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(9)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(10)-निदेशक, समाज कल्याण समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चत करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-13-अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
उपसचिव।

पृ0संख्या-91/2021/1806 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– समाज कल्याण विभाग | वित्तीय वर्ष 2021–22 | (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–60–102–03–02–20– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन–03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन–02–वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	115000.00	500.00	500.00	500.00	114500.00
योग	115000.00	500.00	500.00	500.00	114500.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–02–200–13–00–42– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–13–अन्युदय योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण 42–अन्य व्यय	800.00	1300.00	500.00	500.00	1300.00
	800.00	1300.00	500.00	500.00	1300.00

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है– योजना/ अधिष्ठान के क्रियान्वयन किये जाने के कारण।
(3)प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0– /दस–2021 दिनांक जुलाई 2021

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग।

(फूलचन्द्र यादव)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या– /2021/1806(1)/26–3–2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।